राजस्थान–सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –ललित मीना (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्याः– 06 / 2021

1–मुकेश पुत्र गोपाल जाति ठाकुर निवासी मल्हैला तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर राज0

..........अपीलान्ट

बनाम

1–ग्राम पंचायत कांकौली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कांकौली तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर राज0 2–रामबाबू पुत्र रामभरोसी जाति ब्राह्मण निवासी मल्हैला तहसील सैंपऊ,जिला धौलपुर 3–विजय भारती पुत्र पोदाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम विरौंधा तहसील व जिला धौलपुर 4–निहालसिंह 5–द्वारिका 6–जरदान 7–हजारीलाल 8–सुधरी 9–कप्तान पुत्रगण बिरखू समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण ग्राम मुगलपुरा मजरा मेहरा तहसील बाड़ी जिला धौलपुर राज0 10–हरीबन पुत्र कप्तान 11–पप्पू 12–मुरारी 13–रिंकू 14–आशाराम 15–भूरा पुत्रगण राजबहादुर जातिगण गुर्जर निवासीगण ग्राम रहे मजरा रूंधेरा तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर राज0

............रेस्पोडेण्ट्स

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

अपील व खिलाफ नामान्तकरण आदेश ग्राम पंचायत कांकौली तारीखी 15.11.1972 बाबत् नामान्तकरण संख्या 152 ग्राम कांकौली तहसील सैंपऊ, जिला धौलपुर

उपस्थिति– 1–श्री रामअवतार गौड़ एडवोकेट – अपीलान्ट

2–श्री अशोक सक्सैना एडवोकेट–(रेस्पोडेण्ट संख्या–3 लगायत 15)

निर्णय

दिनांकः 28.02.2023

अपीलान्ट की ओर से अपील को न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है। कि आराजीयात् मुन्दर्जे नामान्तकरण संख्या 152 वाकेग्राम कांकौली तहसील सैंपऊ अपीलान्ट की खातेदारी की दीगर आराजीयात् से सटी हुई है जिस पर अपीलान्ट का शुरू से ही कब्जा है तथा अपीलान्ट आराजीयात् मुन्दर्जे नामान्तकरण संख्या 152 वाकेग्राम कांकौली पर लम्बे समय से काश्त करता चला आ रहा है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रामेश्वर पुत्र रामभरोसी का कभी भी कब्जा नहीं रहा और ना ही कभी भी विवादित नामान्तकरण में वर्णित आराजी पर काश्त की है। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से साज कर विवादित आराजी का कथित आवंटन की आड़ में अपीलान्ट को क्षति पहुंचाने की नीयत से रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश तारीखी 15.11.1972 पारित किया है अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश तारीखी 15.11.1972 व खिलाफ कायदे कानून व रूवेदाद मिसिल के है। विवादित नामान्तकरण आदेश में वर्णित आराजी पर अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पूर्व पुरूषों का कब्जा रहा तथा निरन्तर काश्त करते रहे एवं वर्तमान में अपीलान्ट विवादित आराजीयात् पर काबिज काश्त है परन्तु अपीलाधीन

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

नामान्तकरण आदेश पारित करने पूर्व अपीलान्ट एवं उसके पूर्व पुरूषों को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान न किया जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है तथा इसी विनाय पर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश काबिल खारिजी के है। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नीयत से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के हक में अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो कि न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात् को अपने नाम करवाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या–3 के हक में मुन्तकिल कर दिया है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या–3 को कोई अधिकार हांसिल नहीं है ऐसे अवैध अन्तरण से रेस्पोडेन्ट संख्या–3 को कोई अधिकार हांसिल नहीं होते है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश तारीखी 15.11.1972 का ज्ञान अपीलान्ट में सर्वप्रथम हल्का पटवारी से दिनांक 24.06.2021 को हुआ तत्पश्चात् उसी दिन अपीलान्ट द्वारा वहक नामान्तकरण की नकल हेतु प्रार्थना पत्र जिला भू0–अभिलेखागार धौलपुर में प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 28.06.2021 को प्राप्त हुयी अतः अपीलान्ट रूपयों–पैसों का इन्तजाम कर ज्ञान के अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत कर रहा है यद्यपि ऐसे शून्य आदेशों पर म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी वरफू हुज्जत हस्व दफा 5 भारतीय म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश सरपंच ग्राम पंचायत कांकौली तारीखी 15.11.1972 बाबत् नामान्तकरण संख्या 152 वाकेग्राम कांकौली मंसूख फरमाया जावे तथा अपीलान्ट के हक में नियमन की कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या–1 व 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–3 की ओर से श्री अशोक सक्सैना एडवोकेट उपस्थित हुये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–4 लगायत 15 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम 10 सी.पी.सी. पक्षकार प्रकरण बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या–4 लगायत 15 को प्रतिस्थापित किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या–3 लगायत 15 के अभिभाषक द्वारा जबाब धारा–5 म्याद के प्रार्थना पत्र को इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तकरण विधिक प्रावधानों के अनुरूप खोला गया है जो सही है तथा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे। एवं साथ ही जबाब प्रार्थना पत्र–96 सी.पी.सी. का इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट का अधीनस्थ कार्यवाही में पक्षकार नहीं होना स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है तथा अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजी से अपीलान्ट एवं उसके पूर्व पुरूषों का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना ही पूर्व में था इसलिए उनको कोई सुनवाई का अवसर दिया जाता है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य उत्तरदाताओं को स्वीकार नहीं है। अपीलान्ट विवादित आराजी का कभी खातेदार काश्तकार नहीं रहा इसलिए उसको अपील प्रस्तुत करने की

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

अनुमति दी जावे लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत नहीं है तथा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट एवं उसके पूर्व पुरूषों का शुरू से ही कब्जा काश्त है रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा कथित आवन्टन की आड में रेस्पोडेन्ट से साजकर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आवन्टन आदेश पारित कराया है जिससे अपीलान्ट व्यथित है अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा धारा 5 म्याद अधिनियम भी न्यायहित में स्वीकार किया कर अपील अपीलान्ट द्वारा स्वीकार करने का निवेदन किया साथ ही वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये आर.आर.टी. 2005 (1) पेज संख्या 646 में यह प्रतिपादित है कि राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 नामान्तकरण एस.डी.ओ. के आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में पेश की गयी अपील को मेरिट व म्याद के साथ निर्णित करने का आदेश दिया म्याद के बिन्दू को एक साथ मेरिट पर तय किया जाना आवश्यक है तथा आर.आर.डी. 1989 पेज संख्या 45 Rajasthan land revenue act. section 75 order withe is void ab intitio can be challenged at any time appeal filodafter more then is year but innedidely after knowledge in not berred [para 4] इसके अतिरिक्त आर.आर.टी. 2004 (1) पेज संख्या–374 में यह प्रतिपादित किया है कि परिसीमा अधिनियम की धारा–5 अपील के गुणावगुण पर ध्यान दिये बिना उसे परिसीमा के आधार पर खारिज करना अभिनिर्धारित धारा–5 के तहत आवेदन निरस्त करने एवं काल वर्जित अपील खारिज करने से पूर्व न्यायालय को अपील के गुणावगुण पर पूर्व शर्त के रूप में विचार करना जरूरी है और जब तक अपील एकदम गुणहीन नहीं पाई जावे सामान्यतया अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने के प्रयास किये जाने चाहिए तथा निवेदन किया कि राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (1) में स्पष्ट किया है कि आवन्टन के पश्चातवर्ती एवं न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में होने वाले नामान्तकरण को छोड़कर अन्य निर्विवाद नामान्तकरण ही ग्राम पंचायत द्वारा निपटाये जायेंगे फिर भी ग्राम पंचायत अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण पारित किया है जो अवैध है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या–152 वाकेग्राम कांकौली तारीखी 15.11.1972 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या–3 लगायत 15 की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलान्ट के समस्त तथ्यों को नकारते हुये कथन किया कि विवादित आराजीयात् से प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है एवं ना ही उसके सीधे हित निहित है। प्रार्थी या उसके पूर्वज उपरोक्त विवादित आराजीयात् के कभी भी खातेदार काश्तकार नहीं रहे एवं ना ही काबिज रहे एवं ना ही वर्तमान में है। अपीलान्ट द्वारा महज रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने बराये बदनीयती, द्वेष भावना पूर्वक व उत्तरदातागण से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की है। एवं म्याद बाहर प्रस्तुत की है तथा अपीलाधीन आदेश वैध आदेश है जिसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण वर्णित आराजी सद्भावना पूर्वक क्रय की है तथा रेस्पोडेन्ट्स को प्रस्तुत अपील के

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

...म से अनावश्यक परेशान किया जा रहा है महज अपील अपीलान्ट मय हर्जा खर्चा खारिज ...भायी जावे।

उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनने के पश्चात और पत्रावली पर उपलब्ध नजीरों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश सरपंच ग्राम पंचायत कांकौली द्वारा अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग कर आवन्टन के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया है। अतः हम न्यायहित में अपीलान्ट के उभय प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं धारा–5 भारतीय म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा आवन्टन के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किये गये नामान्तकरण को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या–152 वाकेग्राम कांकोली तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर तारीखी 15.11.1972 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या–152 वाकेग्राम कांकोली को निरस्त किया जाकर विवादित आराजी बाबत् उभयपक्षों को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(ललित मीना)
उप जिला कलक्टर
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ